UPGK010041172026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

सेशन केस संख्या– 1017/2026

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आशुतोष यादव
मुकदमा अपराध संख्या- 118/2022,
धारा- 307, 323, 392, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना- गोरखनाथ, जनपद- गोरखपुर।

17.07.2026

1. सत्र परीक्षण की पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5ख अंतर्गत धारा–250 भा०ना०सु०सं० पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–5ख पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या- 118/2022, धारा- 307, 323, 392, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- गोरखनाथ, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

4. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि "अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी को यथावत स्वीकार कर लेने पर भी ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया जा सके। विवेचना में संकलित सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध विचारण चलाने हेतु पर्याप्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथन के अनुसार घटना से पूर्व वादी पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ था। बचाव पक्ष का प्रारम्भ से ही यह कथन है कि वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी द्वारा अभियुक्त को गालियाँ दी जा रही थीं तथा उस पर पत्थर फेंके जा रहे थे। विवेचक द्वारा इन तथ्यों की निष्पक्ष जाँच नहीं की गई तथा विवेचना एकपक्षीय रूप से की गई है। अभियोजन का सम्पूर्ण मामला ऐसे आरोपों पर आधारित है जिनका कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय समर्थन उपलब्ध नहीं है। विवेचना

में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया गया जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराधों से जोड़ा जा सके। धारा 307 भा०दं०सं० का अपराध प्रथम दृष्ट्या सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा दो फायर किए गए किन्तु विवेचना अभिलेखों के अनुसार घटनास्थल से मात्र एक जीवित कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद दिखाया गया है। दो फायर किए जाने के समर्थन में कोई वैज्ञानिक अथवा फोरेंसिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त कारतूस पुलिस द्वारा वादी पक्ष से मिलकर अभियुक्त को झूठा फँसाने हेतु घटनास्थल पर रखे गए।अभियुक्त के कब्जे अथवा निशानदेही से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। किसी भी कथित हथियार का बैलिस्टिक परीक्षण नहीं कराया गया है। न तो गनशॉट रेजिड्यू न कोई पेलेट, न ही कोई अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन की कहानी का समर्थन करता है।चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करता। घायल आकाश साहनी की मेडिकल रिपोर्ट में केवल साधारण प्रकृति की चोटें अंकित हैं जिनमें खरोंच (abrasion) एवं छोटा सा चिरा घाव (lacerated wound) है। इसी प्रकार अनिता साहनी की मेडिकल रिपोर्ट में भी केवल कठोर एवं कुंद वस्तु (hard and blunt object) से उत्पन्न चोटों का उल्लेख है। धारा 307 भा०दं०सं० के लिए मृत्यु कारित करने की मंशा अथवा जान का प्रथम दृष्ट्या प्रमाण होना आवश्यक है। यहाँ न तो चोटों की प्रकृति, न चिकित्सकीय साक्ष्य तथा न ही कोई वैज्ञानिक सामग्री ऐसी मंशा को प्रदर्शित करती है। कोई भी चोट जीवन के लिए संकटपूर्ण अथवा घातक नहीं पाई गई है। कथित मोबाइल फोन की कोई बरामदगी अभियुक्त से नहीं हुई है। न ही कोई CDR, IMEI ट्रैकिंग रिपोर्ट, लोकेशन एनालिसिस अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध हो कि कथित मोबाइल कभी अभियुक्त के कब्जे में था। कि अभियोजन का मामला गंभीर विरोधाभासों, चूकों एवं बाद में किए गए सुधारों से ग्रसित है, कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कथित फायरिंग के संबंध में हथियार की बरामदगी नहीं हुई, कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आग्नेयास्त्र से चोट का समर्थन नहीं करती तथा कथित मोबाइल की कोई बरामदगी नहीं हुई। ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन कथन को अत्यंत संदिग्ध बनाती हैं व यह दर्शाती हैं कि अभियुक्त के खिलाफ साजिश के तहत सारे झूठे सबूत तैयार किए गए हैं। विवेचना में संकलित सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई गंभीर संदेह उत्पन्न नहीं करती जो आरोप गठन हेतु आवश्यक हो। बल्कि उपलब्ध सामग्री अभियोजन कहानी की सत्यता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। वर्तमान मामले में न तो धारा 307 भा०दं०सं० के आवश्यक तत्वों का समर्थन करने वाला कोई वैज्ञानिक अथवा चिकित्सकीय साक्ष्य है और न ही धारा 392 भा०दं०सं० के समर्थन में कोई बरामदगी अथवा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थी को उपरोक्त अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।" प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

5. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की

कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 09.06.2022 को, अन्तर्गत थाना– गोरखनाथ, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने कट्टे से वादी मुकदमा आकाश साहनी के घर के दरवाजे के उपर फायर करने व पुनः छत के रास्ते वादी के घर में घुसकर वादी आकाश साहनी व उनकी पत्नी अनीता साहनी को जान से मारने की नियत से निशाना साधकर कट्टे से फायर करने व बच जाने पर उन्हें कट्टे के बट से मार–पीट कर गम्भीर उपहति पहुॅचाने व गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया था।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 10.06.2022 को समय 03.39 बजे, थाना– गोरखनाथ, जनपद– गोरखपुर में अभियुक्त आशुतोष यादव उर्फ रामसिंह यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 118/2022 अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 452, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया, घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया, समयी साक्षीगण का बयान अंकित किया गया एवं विवेचना की सभी औपचरिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त आशुतोष यादव उर्फ रामसिंह यादव उर्फ छोटू यादव के विरूद्ध धारा– 323, 504, 506, 452, 392, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है एवं विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 13.03.2024 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकार्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लिए गए संज्ञान आदेश दिनांकित 13.03.2024 को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई।

9. विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं०–2 में वादी मुकदमा आकाश साहनी का बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित किया गया कि– "प्रार्थी का कुछ जमीन रामपुर नयाँ गाँव मे है। जिसे प्रार्थी से आशूतोष यादव उर्फ राम सिंह यादव पुत्र जय सिंह यादव निवासी रामपुर नयाँ गाँव थाना गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा जबरन बैनामा व एग्रीमेन्ट कराकर

कब्जा कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की जमीन का पैसा मैं कई बार माँग चुका हूँ उसी जमीन/पैसे के विवाद को लेकर राम सिंह यादव उर्फ छोटू यादव दिनांक 9.6.022 को रात्रि करीब 10.30 बजे मेरे घर पर आकर मुझे गाली देते हुए घर से बाहर निकलने को कहा, जब मै बाहर नहीं आया और अपनी पत्नी के साथ छत पर खड़ा होकर उसे देखने लगा तो उसने कट्टे से उपर की तरफ हम लोगों को निशाना करके फायर किया, गोली छज्जे से टकरायी जिसका निशान मौजूद है। तथा बाद मे मेरे चाचा के छत के रास्ते हमारे घर में घूस कर मुझे व मेरे पत्नी अनीता साहनी को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये कट्टे की बट्ट से मारने लगा जिससे कान के उपर तथा पत्नी को माथे के पास गम्भीर चोट लगी है, तब मैने ईट उठाकर उसे मारा तथा मेरी पत्नी ने पीढा उठाकर मारा, तब वह वाहर मेरे चैनल से निकला, हम लोग उसे भगा रहे थे तभी पुनः उसने जान से मारने की नियत से निशाना साधकर कट्टे से फायर कर दिया किन्तु हम लोग बच गये। फिर वह हम दोनों को मार पीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मै तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर घटना की सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुची और मेरे पत्नी को 108 एम्बुलेन्स से सदर अस्पताल भेजा गया। छोटू यादव उर्फ रामसिहं यादव जो कि गुलहरिया थाने के अहरौली गाँव का रहनेवाला है वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसके ऊपर कई मुकदमें अन्य थानों में दर्ज है, वह जेल से छूटकर आया हुआ है। वह हिस्ट्रीशीटर भी है, जिसके बारे में आपको अन्य थानों से जानकारी मिल सकती है।"

9.1 विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा बयान मजरूबा/चश्मदीद साक्षी अनीता साहनी पत्नी आकाश साहनी दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया है कि– "प्रार्थीनी की कुछ जमीन रामपुर नयाँ गाँव मे है। जिसे प्रार्थीनी से आशूतोष यादव उर्फ राम सिंह यादव पुत्र जय सिंह यादव निवासी रामपुर नयाँ गाँव थाना गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा जबरन बैनामा व एग्रीमेन्ट कराकर कब्जा कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की जमीन का पैसा मैं कई बार माँग चुकी हूँ उसी जमीन/पैसे के विवाद को लेकर राम सिंह यादव उर्फ छोटू यादव दिनांक 9.6.022 को रात्री करीब 10.30 बजे मेरे घर पर आकर मुझे व मेरे पती गाली देते हुए घर से बाहर निकलने को कहा, जब हमलोग बाहर नही आये और अपनी पति के साथ छत पर खड़ा होकर उसे देखने लगी तो उसने कट्टे से उपर की तरफ हम लोगों को निशाना करके फायर किया, गोली छज्जे से टकरायी जिसका निशान मौजूद है। तथा बाद मे मेरे चाचा के छत के रास्ते हमारे घर मे घूस कर मुझे व मेरे पति आकाश साहनी को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये कट्टे की बट्ट से मारने लगा जिससे मेरे पति के कान के उपर तथा मेरे माथे के पास गम्भीर चोट लगी है, तब मेरे पति ने ईट उठाकर उसे मारा तथा मैंने पीढा उठाकर मारा, तब वह बाहर मेरे चैनल से निकला, हम लोग उसे भगा रहे थे तभी पुनः उसने जान से मारने की नियत से निशाना साधकर कट्टे से फायर कर दिया किन्तु हम लोग बच गये। फिर वह हम दोनो को मार पीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मै तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर घटना की सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुची और मुझको 108 एम्बूलेन्स से सदर अस्पताल भेजा गया। छोटू यादव उर्फ रामसिंह यादव जो कि गुलहरिया थाने के अहरौली गाँव का रहनेवाला है वह अपराधी

किस्म का व्यक्ति है उसके ऊपर कई मुकदमें अन्य थानों में दर्ज है, वह जेल से छूटकर आया हुआ है। वह हिस्ट्रीशीटर भी है, जिसके बारे में आपको अन्य थानों से जानकारी मिल सकती है।"

9.2 विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा बयान गवाह चश्मदीद अतवारी पत्नी दुखी व अन्य समयी साक्षीगण लिए गए जिसमें उन्होंने वादी मुकदमा व मजरूबा के कथनों का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त के संलिप्तता के बारे में कथन किया है।

10. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्यों के बाबत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर तक मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला देखा जाना होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

11. यहॉ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त आशुतोष यादव उर्फ रामसिंह यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– 323, 504, 506, 452, 392, 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। अतएव, आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

12. आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी०)** में यह अवधारित किया है कि– "At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

13. **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665)** में यह अवधारित किया गया है कि– "It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed."

14. इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1578/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

15. विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने

तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

16. **पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290** के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time."

17. अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है।

18. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त आशुतोष यादव उर्फ रामसिंह यादव उर्फ छोटू यादव की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख निरस्त किये जाने योग्य है। **यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में जो भी संप्रेक्षण दिये गये है वे मात्र इस प्रार्थना पत्र तक ही सीमित होगें। इनका कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा।**

आदेश

19. आवेदक/अभियुक्त आशुतोष यादव उर्फ रामसिंह यादव उर्फ छोटू यादव द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 5ख निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त आरोप की विरचना हेतु दिनांक 22.07.2026 को पेश हो। आवेदक/अभियुक्त नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिनांक/गोरखपुर
17 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 16:18:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court